K.S.G.

FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आंशिक स्वीकार / निस्तारण
06/11/2018

अर्ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

चौथमल पुत्र भीवा मौर्य जाति रैगर निवासी नयाशहर किशनगढ़ व अन्य। बनाम मदन पुत्र गिरधारी जाति रैगर नि. ग्राम बरणा तह. किशनगढ़ व अन्य।

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्तकारी अधि. नम्बर 335 सन् 2018 (किशनगढ़ मदनगंज)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00335 श्री उमेश कुमार एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6.11.18	यह अपील श्री उमेश कुमार एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 12.10.2018, प्रकरण संख्या 69/2012 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत् अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध पेश किया गया तथा साथ ही वाद के कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को लम्बित रखना चाह रहे ताकि उक्त अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बेंचान कर सके और उक्त आराजी का बेंचान भी किया जा रहा हैं। अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काबिज काश्त होने की सूरत में प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में निहित होता हैं। यदि उक्त विवादित आराजी का बेंचान हो जाता हैं तो प्रथम दृष्टया क्षति अपीलांट को ही होनी हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 152 में यह प्रतिपादित किया है कि ऐसे प्रकरणों को जहॉ अविलम्ब किसी अनुतोष या आदेश की आवश्यकता हो एवं विधि में दी गई प्रक्रियानुसार आने में इतनी समयावधि लगने की सम्भावना हो, जिससे अनुतोष प्राप्त का कोई अर्थ ही नही रह जाता हों वहॉ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 30.04.2012 से लम्बित कर रखा हैं। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहॉ कार्यवाहियों की बाहुल्यता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1896
335/18/1225 जोधमल बनाम मदन वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00335 श्री उमेश कुमार एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

कर सकता हैं। इस विधि व तथ्यों का विचारण न्यायालय द्वारा विवेचन ना कर कोई न्यायोचित निर्णय पारित नहीं किया हैं। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा दिनांक 30.04.2012 को प्रस्तुत किया गया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अभी तक लम्बित कर रखा हैं जो न्यायहित में उचित नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010, उनवानी हुकुमसिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011(01) पेज 152 के न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुए, हम न्यायालय व पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का इसी स्तर पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनो पक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 662/1,खसरा नम्बर 663/1, 663/2, 663/3 कुल रकबा 10 बीघा 19 ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखें जावें। अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

श्रीमानजी
उक्त आदेश के पत्र क्रं-2562 दि-19-11-18 द्वारा L.C की आदेश की प्रति भिजवादि गई